राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील सं. रेस्टोरेशन 23/13 जिला JPR

उनवान मै. श्री कृष्णा ट्रेडर्स जयपुर vs. CTO W/C JPR

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.6.2014	**एकलपीठ** **श्री जे.आर.लोहिया – सदस्य** आवदेक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक के विद्वान अभिभाषक को तीन बार आवाजें लगाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से आर.के.अजमेरा विद्वान उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रत्यर्थी द्वारा अपील संख्या 884/12/जयपुर में अदम हाजरी अदम पैरवी के आदेश दिनांक 22.07.2013 को रेस्टोर करने के लिए दिनांक 26.08.2013 को प्रार्थना पत्र दायर किया गया। प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने के कारण पुनः नोटिस जारी किया गया। जिसकी पालना दिनांक 18.11.2013 को की गई। आवेदक को बार–बार सुनवाई की तिथि सुचित करने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। आवेदक के रेस्टोरेशन हेतु प्रार्थना पत्र के अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के अधिकृत अधिवक्ता सर्दी, जुकाम व बुखार से पिछले तीन सप्ताह से पीडित होने के कारण मुख्य अपील की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हो पाये थे। आवदेन के साथ अधिकृत अधिवक्ता के बीमारी से सम्बन्धित कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किये गये है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के पास मुख्य अपील की सुनवाई की दिनांक को अनुपस्थित रहने का कोई पर्याप्त कारण प्रतीत नहीं होता है एवं अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित भी नहीं हो रहा है। अतः रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। आवेदन प्रार्थना पत्र सम्बन्धित पत्रावली मुख्य अपील पत्रावली के साथ संलग्न कर दाखिल दफ्तर किया जावें। आदेश सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर 06/06/14	